(3)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/2017 प्रार्थना पत्र (विविध)

उनवान

श्रीमती इन्दु एस नाथानी धर्मपत्नि सूर्य प्रकाश नाथानी, निवासी नाथानी फार्म , आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा हाल फ्लेट नम्बर 103,अमलताश टॉवर, नवकार ग्रीन,कांचीपुरम, गांधीनगर, भीलवाड़ा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

——प्रार्थी

——विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– प्रार्थीया स्वयं उपस्थित
विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार भीलवाड़ा स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 08.05.2017

प्रार्थीया श्रीमती इन्दु एस नाथानी धर्मपत्नि सूर्य प्रकाश नाथानी निवासी नाथानी फार्म ,आरजिया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम आरजिया की आराजी नम्बर 403 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 404 रकबा 4 बिस्वा प्रार्थीया की खातेदारी की होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गत भूप्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा मुझ प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त आराजीयात की किस्म गलती से आ0नं0 403 की किस्म गेमु0 सड़क तथा आ0नं0 404 की किस्म चरागाह दर्ज कर दी। इसी सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में भी प्रकरण दायर किया जिसके नम्बर 108/2005 निर्णय दिनांक 06.12.2006 को निर्णित हुआ। अतः भूप्रबन्ध से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त आराजीयात की किस्म रास्ता व चरागाह को हटाकर बंजड़/बारानी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दिनांक 05.05.2017 को प्रस्तुत हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरजिया तहसील भीलवाड़ा के साबिक आ0नं0 878/2 रकबा 55.00 बीघा किस्म रेतड़ी कदीम 15.00 बीघा व छापर कदीम 40.00 बीघा गीतादेवी पत्नि हरिराम नाथानी भीलवाड़ा के खाते में दर्ज थी। जिसके भूप्रबन्ध में नये नम्बर 396,397,399,402,403,404,446,447,448 कुल कीता 9 कुल रकबा 45.05 बीघा दर्ज हुए।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

इनमें से आराजी नम्बर 403 रकबा 0.03 बीघा गे0मु0बिलानाम रास्ता व 404 रकबा 0.04 बीघा चरागाह दर्ज हुए। उक्त आराजीयात को खातेदार के नाम दर्ज किए जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय प्रकरण संख्या 108/2005 दर्ज हुआ जिसमें पारित निर्णय दिनांक 06.12.2006 की पालना में ई0नं0 1330 दिनांक 01.03.2007 से आराजी नम्बर 403 व 404 प्रार्थीया के नाम खातेदारी से दर्ज कर दी गई। उक्त निर्णय में किस्म शुद्धि हेतु कोई आदेश नहीं होने से आराजी नम्बर 403 की किस्म गेमु0 रास्ता एवं आराजी नम्बर 404 की किस्म चरागाह यथावत दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात भूप्रबन्ध(बन्दोबस्त) से पूर्व छापर कदीम(बंजड़) दर्ज थी जो पुनः बंजड़ दर्ज होना चाहिए परन्तु सक्षम आदेश के अभाव में नामान्तरकरण में शुद्धि नहीं हो पाई। जबकि आराजी नम्बर 403 रकबा 0.03 बीघा गेमु0 रास्ता व आ0नं0 404 रकबा 0.04 बीघा किस्म चरागाह सेटलमेन्ट से पूर्व की किस्म छापर कदीम दर्ज थी जिसे शुद्धि किया जाकर बंजड़ दर्ज होने योग्य है।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 108/2005 निर्णय दिनांक 06.12.2006 की फोटो प्रति, पासबुक सम्वत् 2027 की फोटो प्रति, ना0संख्या 1330 दिनांक 01.03.2007 की फोटो प्रति,नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 की फोटो प्रति, रिपोर्ट पटवारी आरजिया दिनांक 16.03.2006 की फोटो प्रति एवं नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के भू–उपयोग परिवर्तन आदेश क्रमांक/भू.उ.प./09/869 दिनांक 16.10.2009 की फोटो प्रति पेश की।

प्रार्थीया को सुना गया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं भूमिधारी तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सम्वत् 2027 की पास–बुक की फोटो प्रति जिसमें आराजी नम्बर 878/2 रकबा 55.00 बीघा श्रीमती गीतादेवी पत्नि हरिराम नाथानी के नाम खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड थी। इस पास बुक में उक्त 55.00 बीघा में से 15.00 बीघा भूमि रेतड़ी कदीम तथा 40.00 बीघा भूमि छापर कदीम किस्म दर्ज थी। तहसीलदार भीलवाड़ा ने भी अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है। भू–प्रबन्ध में उक्त आराजीयात के नवीन नम्बर 396, 397, 399 , 402, 403, 404, 446, 447, 448 कुल कीता 9 कुल रकबा 45.05 बीघा बने जिनमें से आराजी नम्बर 403 एवं 404 की किस्म शुद्धि किए जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत हुआ है। जैसाकि पत्रावली में संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 108/2005 निर्णय दिनांक 06.12.2006 के पृष्ठ संख्या 2 के पेरा संख्या 4 में अंकित है कि दिनांक 15.09.1979 को की गई रजिस्ट्री, मिलान खसरा, पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया कि मौके पर वादी का वर्षों से कब्जा है एवं पुराने नक्शे में चरागाह या बिलानाम रास्ता नहीं है। निर्णय

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(5)

के पृष्ठ संख्या 3 के प्रथम पेरा मे अंकित है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिवश आराजी नम्बर 403 व 404 को बिलानाम, चरागाह रास्ता दर्शाया गया था। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.12.2006 में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर भूमि को प्रार्थीया के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए गए परन्तु उक्त निर्णय की पालना में जो नामान्तरकरण संख्या 1330 पटवारी द्वारा दायर किया उसमें त्रुटिवश भूमि आ0नं0 403 व 404 प्रार्थीया के नाम खातेदारी से तो दर्ज कर दी गई परन्तु उसकी किस्म साबिक रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज नहीं कर पूर्ववत किस्म गेमु0 रास्ता एवं चरागाह दर्ज कर दी । किसी भी खातेदारी भूमि में चरागाह की कोई किस्म नहीं हो सकती है। स्वयं भूमिधारी तहसीलदार के द्वारा भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं कर किस्म दुरूस्ती हेतु अपने जवाब में सहमति व्यक्त की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्ती योग्य पाई जाती है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम आरजिया की आ0नं0 403 रकबा 0.03 बीघा की किस्म गेमु0 रास्ता के बजाय बंजड़ एवं आ0नं0 404 रकबा 0.04 बीघा की किस्म चरागाह के बजाय बंजड़ दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08/05/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा) आर.ए.एस.
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा